

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1597

दिनांक 26/11/2021

प्रार्थीगण :-

1. पोकराराम
2. किरताराम पि. रामलाल
3. सुखराम
4. प्रभूराम पि. काना
5. चांदी पत्नि काना के का.मु.
- 5/1. सुखराम
- 5/2. प्रभूराम पि. काना
6. चांदा
7. सोडा पि. वीरमा
8. ठाकरा पुत्र मगाराम
9. टीकमा
10. रायचंद पि. मोडा
11. करीमो बेवा मोडा
12. वाला
13. मोहन
14. मंगला पि. भगा
15. सरीफा बेवा भगा, जातियान भील, निवासी सुरते की ढाणी (धनाऊ)

विप्रार्थीगण:-

1. सरदारा पुत्र पेमाराम
2. लुम्भाराम पुत्र लिछमणाराम, जातियान जाट निवासी सुरते की ढाणी (धनाऊ)
3. आसूराम पुत्र भगवाना, जाति सुथार
4. पेमाराम पुत्र दुर्गाराम
5. सगराराम पुत्र पन्नाराम जाति भील, निवासी सुरते की ढाणी (धनाऊ)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 25/2019

दिनांक : 26.11.2021

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र धनाऊ के मौजा सुरते की ढाणी के खेत खसरा सं. 518 रकबा 00.18 बीघा, खसरा सं. 519 रकबा 114.10 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/1598 to 1601
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण पोकराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण सरदारा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 26/11/2021



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन